

राजस्थान सरकार  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ( साधारण बीमा निधि)

**समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना हेतु प्रस्ताव-पत्र**

(प्रस्तावक द्वारा भरा जाये)

1. प्रस्तावक का नाम मय पद

---

2. पिता/पति का नाम

---

3. वर्तमान विभाग का नाम

---

4. स्थायी पता

---

---

---

5. वर्तमान पता

---

6. क्या आप वर्तमान में हाथ, पैर

---

अथवा आंख की किसी अपंगता

---

से ग्रस्त है ?

---

यदि हाँ तो विवरण दें ।

---

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

**मनोनयन हेतु घोषणा-पत्र**

मनोनयन परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी/, लड़का/लड़की) के पक्ष में ही किया जाए । परिवार न होने की दशा में माता—पिता—भाई अथवा अविवाहित बहिन के पक्ष में मनोनयन किया जाए उपरोक्त दोनों अवस्थाएं न होने की दशा में किसी भी व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है ।

मैं श्रीमती/कुमारी/श्री ..... एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ  
कि समूह व्यक्ति दुर्घटना बीमा योजना की पॉलिसी के अन्तर्गत मेरी मृत्यु होने की स्थिति मैं साधारण बीमा निधि द्वारा देय राशि का भुगतान श्रीमती/कुमारी/श्री ..... सम्बन्ध  
को किया जाये ।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे मनोनीत द्वारा दी गई रसीद साधारण बीमा निधि के लिए पर्याप्त विमुक्ति होगी ।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास से सत्य है तथा यह कि मैंने जोखिम के आंकलन को प्रभावित करने वाले सारे विवरणों को घोषित कर दिया है । मैं सहमति देता हूँ/देती हूँ कि प्रस्ताव तथा घोषणा मेरे साधारण बीमा निधि के मध्य होने वाले करार का आधार होंगे । मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं बिन्दु संख्या 6 पर वर्णित किसी अन्य क्षति/अशक्तता अपंगता के अतिरिक्त किसी अन्य क्षति/अशक्तता/कमी से पीड़ित नहीं हूँ ।

स्थान : .....

दिनांक : .....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है ।

आहरण एवं वितरण अधिकारी  
विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी  
डी.डी.ओ. कोड नम्बर .....